



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2004]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2019/आषाढ़ 7, 1941

No. 2004]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2019/ASHADHA 7, 1941

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

का.आ. 2218(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 के का.आ. 3334(अ) की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने हेतु लोप से संबंधित बातों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मंत्रालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित कार्य देखने वाले एकीकृत वित्त स्कंध के आर्थिक सलाहकार और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग के उप सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को आयोग की बैठकों में भाग लेने और उसकी चर्चाओं में भागीदारी करने के लिए नामनिर्देशित करती है:

बशर्ते कि नामनिर्देशित अधिकारियों को मताधिकार नहीं होगा।

[फा. सं. ए-43013/6/2015-केवीआई-पी (भाग-2)]

बंडला श्रीनिवास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2019

S.O. 2218(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 3324(E) dated the 9th December, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the

Central Government hereby nominates the Economic Advisor of Integrated Finance Wing and Deputy Secretary of Agro and Rural Industry, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, handling the work relating to Khadi and Village Industries Commission in the Ministry, to attend the meeting of the Commission and to take part in the discussions thereof:

Provided that nominated officers shall not have the right to vote.

[F. No. A-43013/6/2015-KVI-P (Pt.2)]

BANDLA SRINIVAS, Jt. Secy.